प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

प्रबन्धक,
फातिमा माता स्कूल,
लंगरपुर कालपी।

पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/ 9783-84/2017–18 दिनांक 22-12-18

बिषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–16 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उप नियम(4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम फातिमा माता स्कूल, लंगरपुर कालपी विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक शासनादेश संख्या/419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में निहित निर्देशानुसार कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/2227–33/2013–14 दिनांक 07.06.2013 द्वारा दिनांक 07.06.2013 से दिनांक 06.06.2016 तक वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनन्तिम मान्यता प्रदान करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

आपके द्वारा 01.08.2016 को प्रस्तुत पत्रावली में नगर शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, कालपी द्वारा निर्गत पत्रांक/23/2017–18 दिनांक 28.06.2017 एवं दिनांक 24.10.2016 को विद्यालय की निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त शासनादेश के पैरा–15 के अन्तर्गत "तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है" के तहत मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(राजेश कुमार शाही)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पृ0सं0/ /2017–18/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), झांसी मण्डल झांसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शाही)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

PRINCIPAL
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

MANAGER
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

D:\KAUSHIK JI\25%.docx

प्रेषक,

(अंग्रेजी माध्यम)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में

प्रबन्धक,
फातिमा माता स्कूल
लंगरपुर, कालपी ।

पत्रांक : मान्यता /अंग्रेजी माध्यम/ 9227-33 /2013–14/ दिनांक – 07-06-13

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम फातिमा माता स्कूल, लंगरपुर, कालपी विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में निहित निर्देशानुसार आपके तारीख 31.10.12 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को तारीख 07.06.13 से तारीख 06.06.16 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक (जूनियर स्तर) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय में संचालित होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बाल से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और
   (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

MANAGER
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

PRINCIPAL
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

1. विद्यालय समुचित प्रधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
2. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं –

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के कक्षा कक्षों की संख्या
बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्यांक 1/2013 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट शीघ्र सूचना प्रस्तुत करता है जो समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाएं।
17. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायें।
18. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अथवा अनियमिता पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

पृष्ठांकन संख्या/बे0शि0/ /2013–14तद्दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी मण्डल झांसी।
3. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड.....जालौन।
5. नगर शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र.....जालौन
6. कार्यालय आदेश पत्रावली।

PRINCIPAL
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

MANAGER
FATIMA MATA SCHOOL
KALPI DIST. JALAUN (U.P.)

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जालौन स्थान उरई